13/8/24

बार-बार आवाज लगवाने के बाद भी न तो अपी० न ही अपी० अधि० उपस्थित हुए। वकील अपी० ने आदिनांक तक संशोध० शीर्षक पेश नहीं किया है। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी अदम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावें। बाद खाल्सा दाखिल दफ्तर हो।

(मुनिदेव)
RMS

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)